COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निगरानी क्र.

PBR/अपील/राजगढ़/भू.रा./2017/4178

(1) कल्लू बेग पिता श्री नियामत बेग
(2) जउर बेग पिता श्री नियामत बेग
(3) यूसुफ बेग पिता श्री नियामत बेग
(4) रईस बेग पिता श्री नियामत बेग
सभी निवासी– ग्राम तुर्कीपुरा, तहसील पचौर,
जिला राजगढ़ (म.प्र.) .... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

किसमत खां पिता सईद खां
पता– ग्राम तुर्कीपुरा, तहसील पचौर,
जिला राजगढ़ (म.प्र.) .... गैरनिगरानीकर्ता

अपील अंतर्गत धारा 44 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

यह अपील, श्रीमान् अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 5/अंतरण/16–17 आदेश पत्रिका दिनांक 30.10.17 से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर यह अपील/निगरानी ठोस तथ्यों एवं आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र॰ रण कमांक PBR/अपील/राजगढ़/भू.रा./2017/4178

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–11–2017	अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण अंतरित करने के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी पुष्टि नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	